From

Labour Commissioner, Haryana

To

1. Additional Labour Commissioner (NCR), Gurugram
2. All Deputy Labour Commissioners, in the Haryana State.
3. All Assistant Labour Commissioners, in the Haryana State.
4. All Welfare Officers (Women), Haryana.

No.: 23171-212 Dated:- 6-8-19

Subject:- **Proceedings of the meeting held on 15.07.2019 under the Chairmanship of Sh. Vineet Garg, IAS, Principal Secretary to Govt. of Haryana, Labour Department.**

In reference to the meeting held on 15.07.2019 on the subject cited above.

Please find enclosed proceedings of the meeting held on 15.07.2019 with the direction to take immediate necessary action on the various issues which were discussed / decided in the meeting and action taken report be sent within a week to the Head Office.

6/8/2019
Dy. Labour Commissioner (HQ)
for Labour Commissioner, Haryana.

Endst. No. 23213-14 Dated:- 6-8-19

A copy is forwarded to the following for information please :-

1) PS to Principal Secretary to Government of Haryana, Labour Department.
2) PS to the Labour Commissioner, Haryana, Chandigarh.

6/8/2019
Dy. Labour Commissioner (HQ)
for Labour Commissioner, Haryana.

श्री विनीत गर्ग, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग की अध्यक्षता में विभागीय बैठक दिनांक 15.07.2019 की कार्यवाही

अध्यक्ष	श्री विनीत गर्ग, आई0ए0एस0, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग
संचालक	श्री नितिन कुमार यादव, आई0ए0एस0, श्रम आयुक्त, हरियाणा।

सर्वप्रथम उप श्रम आयुक्त, मुख्यालय, श्री परमजीत सिहं द्वारा श्री विनीत गर्ग, आई0ए0एस0, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग, श्री नितिन कुमार यादव, आई0ए0एस0 श्रम आयुक्त तथा उपस्थित सभी श्रम विभाग के अधिकारियों का स्वागत किया। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की विधिवत कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सर्व प्रथम बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों ने अध्यक्ष महोदय को अपना–2 परिचय दिया।

इसके पश्चात श्रम आयुक्त, हरियाणा, द्वारा श्रम अनुभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यो का संक्षिप्त ब्यौरा अध्यक्ष महोदय को दिया गया। इसके बाद श्रम अनुभाग के अधिकारियों द्वारा किये गये कार्य निष्पादन बारे विस्तृत रिपोर्ट श्री परमजीत सिहं, उप श्रम आयुक्त, हरियाणा द्वारा प्रस्तुत की गई।

सभी उप श्रम आयुक्तों, सहायक श्रम आयुक्तों व श्रम निरीक्षकों द्वारा गूगल शीट पर अपलोड किये गये डाटा / रिपोर्टो जोकि पंजाब दुकानात एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1958, के तहत पंजीकरण बारे विस्तृत चर्चा हुई। उप श्रम आयुक्त, मुख्यालय द्वारा अध्यक्ष महोदय को बताया गया कि सभी क्षेत्रीय अधिकारियों से उनके कार्यक्षेत्र के अधीन सभी दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों की एक अनुमानित लिस्ट मांगी गई थी जोकि उनके द्वारा बिजली विभाग इत्यादि के माध्यम से सूचना प्राप्त की गई है। किसी भी क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अधिक से अधिक पंजीकरण अंतर्गत दुकानात एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1958 में करने के प्रयास नही किये जाने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा असंतोष प्रकट किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी पाया गया कि क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा जो डाटा/सूचना गूगल शीट पर उपलब्ध करवाई गई वह विभाग की वेबसाईट पर पंजीकृत दुकानात एवं वाणिज्य संस्थान के डाटा से अलग है। इस बारे श्री एन. एस. मान, आई.टी. शैल द्वारा बताया गया कि डाटा में जो अन्तर है वह कुछ आवेदन खारिज होने के कारण है। इस बारे अध्यक्ष महोदय द्वारा खारिज आवेदन का कारण पूछने पर, क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बताया गया है कि कुछ आवेदन शुल्क जमा न करवाने के कारण तथा कुछ जरूरी दस्तावेज उपलब्ध न करवाने के कारण खारिज किये गये है। इस बारे अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी उपस्थित क्षेत्रीय अधिकारीयो को निर्देश दिये गये कि सभी अधिकारी इन खारिज किये गये आवेदनो बारें पुनः रिव्यु करते हुये पंजीकरण करवाने का प्रयास करेगे। श्रम आयुक्त महोदय द्वारा उपस्थित सभी क्षेत्रीय अधिकारीयो से अधिक से अधिक दुकान एवं वाणिज्य संस्थानो का पंजीकरण बारें सुझाव मांगे गये । सहायक श्रम आयुक्त, श्री नवीन शर्मा ने सुझाव दिया कि जब कोई शिकायत इत्यादि दुकान एवं वाणिज्य संस्थानो से सम्बन्धित प्राप्त होती है तो उसका ब्यौरा प्राप्त कर यदि संस्थान पंजीकृत नही है तो सबसे पहले उसका पंजीकरण करना सुनिश्चित करे, दुसरा उनके द्वारा यह सुझाव दिया गया कि उनके अधीन कार्यक्षेत्र में स्थित दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों का अप्रत्यक्ष रूप से सूचना प्राप्त करके पंजीकरण का प्रयास किया जा सकता है, तीसरा सुझाव उनके द्वारा यह दिया गया है कि अधीन कार्यक्षेत्र में किसी दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के बदलाव अर्थात किसी संस्थान का नाम में बदलाव या

स्वामित्व इत्यादि में बदलाव होने पर फिजीकली अप्रत्यक्ष रूप से सूचना प्राप्त करके भी पंजीकरण का प्रयास किया जा सकता है।

श्रम आयुक्त महोदय द्वारा सभी उपस्थित अधिकारियो को आदेश दिये गये कि अगले 15 दिनो में उनके द्वारा दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों को पंजीकरण करने बारे किये गये प्रयासो बारे पूर्ण विवरण तथा कितनी सस्थान उनके द्वारा पंजीकृत किये गये तथा क्या–2 प्रयास उनके द्वारा अधिक से अधिक पंजीकरण करने के लिए किये गये बारे पूर्ण ब्यौरा मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेगे।

इसके अतिरिक्त श्रम आयुक्त महोदय द्वारा सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को आदेश दिये गये कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 08.06.2013 द्वारा कैटेगरी–1 व 2 के अंतर्गत आने वाले संस्थानों जैसे होटलों, बैंकों, सिनेमा, आई0टी0 तथा वाणिज्यिक संस्थानों व नर्सिंग होम व पट्रोल पम्प तथा अन्य इस प्रकार के संस्थान जिनकी सख्यां सीमित होती है परन्तु इन संस्थानों पर श्रमिकों का नियोजन बडी मात्रा में होती है तो इस प्रकार के संस्थानों का पंजीकरण सबसे पहले सुनिश्चित करें।

इसके साथ–2 क्षेत्रिय अधिकारी व्यापार मण्डलों/ एसोसियेशन तथा अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उन्हे दुकानात एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1958 में अधिक से अधिक पंजीकरण करवाने के लिये प्रोत्साहित करेंगें।

उप श्रम आयुक्त, श्री परमजीत सिहं द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत करवाया गया कि मुख्यालय द्वारा जारी की गई ऑन लाईन त्रिमासिक निरीक्षण अभी तक किसी भी क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पूर्ण नही की गई है इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी से संज्ञान लेते हुये निर्देश दिये गये कि वो निरीक्षण से सम्बन्धित कार्य सुचारू रूप से करते हुये जल्द से जल्द समाप्त करना सुनिश्चित करेगे।

इसके पश्चात, वेतन उपदान अधिनियम, 1972, वेतन संदाय अधिनियम, 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, वेतन उपदान अधिनियम, 1972 बारे चर्चा की गई तथा निर्देश दिये गये कि सभी क्षेत्रीय अधिकारी इन अधिनियमो के अंतर्गत एक वर्ष से अधिक लम्बित केसो का निपटारा 30 दिन के अन्दर–2 करवाना सुनिश्चित करेंगें।

इस पश्चात बैठक में श्रम विभाग के क्षेत्रिय अधिकारियों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दूओं पर विस्तृत चर्चा की गई:–

1. बन्धुआ मजदूरी तथा बाल श्रम मजदूर की पहचान तथा पुर्नवास के लिये भारत सरकार तथा माननीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा जारी एस0ओ0पी0 अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये।
2. मुख्यालय द्वारा निर्देश दिये गये कि माननीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से प्राप्त शिकायतों के निपटान में उप श्रम आयुक्तों द्वारा नीजि रूचि व अपनी स्पष्ट टिप्पणी सहित रिपोर्ट भिजवायें। श्रम निरीक्षक व सहायक श्रम आयुक्त के स्तर पर जांच न करवाकर स्वयं जांच करें।

3. यह भी निर्देश दिये गये कि छः मासिक रिपोर्ट सभी उप श्रम आयुक्त समय पर मुख्यालय को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करेंगें।

4. बाल श्रम मजदूरी से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों की जांच इत्यादि कर पेन्सिल पोर्टल पर अपलोड करना भी सुनिश्चित करेंगें।

5. सभी क्षेत्रिय अधिकारी District Task Force under Child Labour Act and Vigilance Committees under Bonded Labour Act की बैठक नियमित रूप से करवाना सुनिश्चित करेंगें इसके अतिरिक्त इन बैठकों की कार्यवाही भी मुख्यालय को प्रेषित करवाना सुनिश्चित करेंगें।

6. सभी क्षेत्रिय अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगें की मांग पत्र धारा 2(के) के अंतर्गत प्राप्त, का समय पर निपटान करवाना सुनिश्चित करेंगें तथा समझौतो की दरों को भी बढावा देगें जिससे क्षेत्र में श्रम शांति बनी रहे।

7. सभी क्षेत्रिय अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगें की जिन कारखानों/दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों की लिस्ट मुख्यालय द्वारा निरीक्षण के लिये भेजी जाती है उनका निरीक्षण पारदर्शी प्रणाली अनुसार कर रिपोर्ट मुख्यालय पर भिजवायें ताकि निरीक्षण में पारर्दशता लाई जा सकें।

8. उप श्रम आयुक्त, फरीदाबाद व गुरूग्राम–1 राष्ट्रीय बाल परियोजना (एन0सी0एल0पी0) जोकि जिला फरीदाबाद व गुरूग्राम में संचालित है द्वारा चलाये जा रहे विशेष प्रशिक्षण स्कूल में नामित बच्चों का पूर्ण विवरण व उनकी जांच पडताल तथा उपस्थिति ऑनलाईन लगवाना सुनिश्चित करते हुये, भारत सरकार, श्रम विभाग के निर्देशानुसार उसे पैन्सिल पोर्टल पर अपलोड भी करवायेगें। इन परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त कुल राशि तथा कुल खर्च (मद वाईज) प्राप्त करके मुख्यालय को 15 दिन के अन्दर–2 भिजवाना सुनिश्चित करें।

माननीय प्रधान सचिव, श्रम विभाग एवं अध्यक्ष ने सभी उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये की वो उपरोक्त दिशा निर्देशों की पूर्ण परिपालना करते हुये यथा समय अपने कार्यो का निपटान करेंगें।

अन्त में माननीय प्रधान सचिव, श्रम विभाग एवं अध्यक्ष द्वारा सभी उपस्थ्ति अधिकारियों का धन्यवाद करतें हुये बैठक का समापन किया।

******